राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 11594/2019

गोदावरी बोहरा पत्नी श्री पुरूषोत्तम बोहरा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी भोली बाई का मंदिर, खांडा फलसा, जोधपुर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, सरकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, (अध्यक्ष, क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद-सह-सहायक विशेष सचिव, द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. राधाकृष्णन स्कूल संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोटरी सर्किल के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बावडी, जिला जोधपुर।
6. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बालेसर, जिला जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री दिलीप शर्मा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री पी.आर. सिंह जोधा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>16/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन सहित अपने देय टर्मिनल लाभों में देरी या गैर-निस्तारण से व्यथित है, और

विलंबित अवधि के लिए ब्याज भी मांग रही है। उनका दावा है कि प्रतिवादियों की गलती के कारण हुई देरी दो साल से अधिक हो गई है, जिसके कारण उन्हें वर्तमान रिट याचिका दायर करनी पड़ी है।

2. याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्यों का सारांश इस प्रकार है:

2.1 याचिकाकर्ता सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करते हुए अंशदायी भविष्य निधि योजना की सदस्य बन गई, उसके नियोक्ता ने उसके वेतन से पीएफ और पेंशन के हिस्से के लिए आवश्यक कटौती की। लगभग 23 वर्षों तक सेवा करने के बाद, 28 अगस्त, 2017 के कार्यालय आदेश के अनुसार 31 अगस्त, 2017 से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

2.2. याचिकाकर्ता ने मासिक पेंशन का विकल्प चुना और प्रतिवादी को मासिक पेंशन के लिए आवश्यक समग्र दावा प्रपत्र और आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने 20 सितंबर, 2018 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उसे वित्त विभाग के 27 जून, 2014 के परिपत्र द्वारा स्वीकृत ग्रेच्युटी सहित कुछ सेवा लाभ प्रदान किए गए।

2.3. याचिकाकर्ता को 31 अगस्त, 2018 के एक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उसका भविष्य निधि और पेंशन अंशदान केवल नवंबर 2014 तक जमा किया गया था, सितंबर 2016 तक कुछ जमा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उसके सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित नहीं किया जा सका।

2.4. याचिकाकर्ता ने 18 जनवरी, 2019 को जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जोधपुर को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने 19 जनवरी, 2019 और 10 जून, 2019 को ईमेल के माध्यम से शिकायतें और अनुस्मारक भेजे, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण यह रिट याचिका दायर की गई।

3. प्रतिवादियों का उत्तर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बचाव पर आधारित है:

3.1 कर्मचारी भविष्य निधि के लिए राज्य सरकार का हिस्सा 1,31,544/- रुपये, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के आयुक्त कार्यालय को आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया गया।

3.2 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 20 सितंबर, 2018 के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का ग्रेच्युटी का दावा संधारणीय नहीं है। 9 अप्रैल, 2021 के एक बाद के आदेश में स्पष्ट किया गया कि 20 सितंबर,

2018 के आदेश में प्रदान किए गए पोस्ट-टर्मिनल लाभ भावी हैं और पूर्वव्यापी नहीं हैं। लाभ परिषद और कर्मचारी के बीच मौजूदा अनुबंध के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, और उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

3.3. इसके अलावा, 9 अप्रैल, 2021 के आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं 20 सितंबर, 2018 से पहले अनुबंध समाप्ति के कारण समाप्त हो गई थीं, उन्हें ग्रेच्युटी देय नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाएं 31 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गई थीं, इसलिए वह ग्रेच्युटी की हकदार नहीं हैं। इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाए।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. मामले की दलीलों और तथ्यों का अवलोकन करने पर एक स्पष्ट मुद्दा सामने आता है यानी याचिकाकर्ता, यदि वह ईपीएफ और ग्रेच्युटी के सेवानिवृत्ति बकाया के वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो वह उन विलंबित भुगतानों पर ब्याज की हकदार है। आइए हम आगे के पैराग्राफ में इसकी अधिक विस्तार से जांच करें।

6. ईपीएफ भुगतान के संबंध में, जबकि याचिकाकर्ता को देय मूल राशि स्वीकार की जाती है, संवितरण में देरी के संबंध में प्रतिक्रिया टालमटोल वाली है। याचिकाकर्ता द्वारा ईपीएफओ विभाग में व्यक्तिगत रूप से जाने के बावजूद, उसे बार-बार बताया गया कि विलंबित ईपीएफ भुगतान पर ब्याज केवल ईपीएफओ द्वारा मांग नोटिस जारी करने के बाद ही जमा किया जाएगा। अनुलग्नक-आर/1 के रूप में चिह्नित प्रदान किए गए चालान से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के लिए आवश्यक ईपीएफ विवरण 16.08.2021 को अपडेट किए गए थे, जो प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता और काफी लंबी देरी को उजागर करता है। इसके अलावा, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के ईपीएफ खाते में जमा करने की समय अवधि निर्दिष्ट करने में विफल रहे। नतीजतन, ईपीएफओ अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि निर्दिष्ट समय अवधि के बिना, वे विलंबित भुगतानों पर ब्याज की गणना या मांग नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि प्रतिवादियों की इस मनमानी कार्रवाई से याचिकाकर्ता, एक बुजुर्ग महिला को अनावश्यक परेशानी हुई है, जो 31.08.2017 को सेवानिवृत्त हुई थी और छह साल से अधिक समय बाद भी उसे अपनी सेवा के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है।

7. ग्रेच्युटी का भुगतान न किए जाने के संबंध में बचाव पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता एक विशिष्ट योजना के तहत संविदा कर्मचारी होने के कारण ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है। हालांकि, जुलाई 2004 में सर्व शिक्षा अभियान और राज्य में

शिक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित अपेक्षित परिवर्तनों के साथ, लोक जुंबिश परियोजना समाप्त हो गई और सभी बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ गए। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सहित लोक जुंबिश परियोजना के कर्मचारियों को ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन रखा गया। वित्त विभाग के दिनांक 27.06.2014 के एक परिपत्र ने याचिकाकर्ता जैसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सहित कुछ सेवा लाभ प्रदान किए। इसलिए, एक बार फिर याचिकाकर्ता को उसकी ग्रेच्युटी से वंचित करना अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी प्रतीत होता है। दिनांक 20.09.2018 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 6) जारी करने में देरी के कारण याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ग्रेच्युटी एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और इसका भुगतान किसी भी आंतरिक विभागीय नियम या दिशा-निर्देशों की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए।

8. यह स्थापित स्थिति है कि अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान एक वैधानिक अधिकार है, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा छूट प्रदान नहीं की जाती है।

9. इस संदर्भ में, संत कुमार पाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2853/2015 नामक मामले में मेरे द्वारा दिए गए पहले के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां एक समान स्थिति वाले वादी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसका प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "8. ग्रेच्युटी के संबंध में प्रश्न संख्या 1 के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उत्तर के पैरा 13 में यह बचाव किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने त्यागपत्र दे दिया है और सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, इसलिए वह ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार नहीं है। कोई नहीं जानता कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ऐसा परिणाम कहाँ से निकाला गया है, क्योंकि यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, '1972 का अधिनियम') की धारा 4(1)(बी) में निहित स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है। यह उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं है कि उक्त प्रावधान कॉलेज पर लागू है। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम 1972 की धारा 4(1)(बी) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:
>
> धारा 4 ग्रेच्युटी का भुगतान

(1) किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसके द्वारा कम से कम पांच वर्ष तक लगातार सेवा करने के पश्चात उसके रोजगार की समाप्ति पर देय होगी,--

(क) उसकी अधिवर्षिता पर, या

(ख) उसकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या

(ग) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या अक्षमता पर:

बशर्ते कि पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु या अक्षमता के कारण हुई हो:

[इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसे देय ग्रेच्युटी उसके नामिती को या यदि कोई नामिती नहीं किया गया है, तो उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी, और जहां ऐसा नामिती या उत्तराधिकारी अवयस्क है, ऐसे अवयस्क का हिस्सा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा, जो उसे ऐसे अवयस्क के लाभ के लिए ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में निवेश करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा अवयस्क 15 वर्ष का नहीं हो जाता।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विकलांगता से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए अक्षम कर देती है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी से पहले करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी विकलांगता हुई।"

9. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि एक बार जब कोई कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक की निर्बाध सेवा कर लेता है, तो उसे अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी

का दावा करने का अधिकार हो जाता है। इस संदर्भ में, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्रीमती मोहनी देवी एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 2236/2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। निर्णय का प्रासंगिक पैरा संख्या 13 नीचे उद्धृत किया गया है:

> "13. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि भले ही यह त्यागपत्र का मामला हो, प्रतिवादी के मृतक पति ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे, क्योंकि उन्होंने योग्यता सेवा की थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया था। इस संबंध में, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट अपील के पैरा 9 का संदर्भ हालांकि यह दर्शाता है कि यद्यपि त्यागपत्र स्वीकार करते समय प्रतिवादी के पति को वितरित भुगतान का संदर्भ दिया गया है, लेकिन यह प्रकट नहीं करता है कि ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील में अपीलकर्ताओं ने ग्रेच्युटी का भुगतान न करने को उचित ठहराने की मांग की है, क्योंकि प्रतिवादी के पति ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। जैसा कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने सही कहा है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) (बी) में प्रावधान है कि यदि रोजगार की समाप्ति 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद होती है तो ग्रेच्युटी देय होगी और ऐसी समाप्ति में त्यागपत्र भी शामिल होगा। इस दृष्टिकोण से, यदि प्रतिवादी के पति को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे भुगतान करने की देयता बनी रहेगी और प्रतिवादी संख्या 1 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे प्राप्त करने का हकदार होगा। इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता तदनुसार ग्रेच्युटी की गणना करेंगे और यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है तो प्रतिवादी संख्या 1 को उसका

भुगतान करेंगे। ऐसा भुगतान इस तिथि से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।"

10. उपर्युक्त के मद्देनजर, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को 20 वर्ष से अधिक सेवा करने पर ग्रेच्युटी का लाभ भुगतान की विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित क्यों न दिया जाए।

11. तदनुसार, याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को गणना करने, स्वीकार्य ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने और लागू सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य दर पर ईपीएफ और ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

12. याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को तत्काल आदेश का वेब-प्रिंट उपलब्ध कराने के 3 महीने के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।